

काष्ठ का नाम :- चार्डोय मर्ग रंछा-92 (नया नाम-रा0मग0 रं0-719)
 बंद-इंटा-मालियर मर्ग के बोन किक0मी0-60.00 (पुन0 मुं0) तक के भाग को
 काष्ठ का नाम :- अशिशाकी अशिय-रा, रा0मग0 रंछ, रं0रं0रं0, इंटा।
 प्रस्तावक का नाम :- अशिशाकी अशिय-रा, रा0मग0 रंछ, रं0रं0रं0, इंटा।
 पता :- कावतिय-अशिशाकी अशिय-रा, रा0मग0 रंछ, रं0रं0रं0, इंटा।
 (रा0रं0रं0 रं0रं0) के भाग इंटा, रं0 रं0-206001
 07830480275 मोबाइल नं0-

Executive Engineer
 M.H. Dv. P.M.D. Eranthi

परिचयना का नाम

काष्ठ का नाम :- चार्डोय मर्ग रंछा-92 (नया नाम-रा0मग0 रं0-719)
 बंद-इंटा-मालियर मर्ग के बोन किक0मी0-60.00 (पुन0 मुं0) तक के भाग को
 काष्ठ का नाम :- अशिशाकी अशिय-रा, रा0मग0 रंछ, रं0रं0रं0, इंटा।

Executive Engineer
 M.H. Dv. P.M.D. Eranthi

303 C / CBC - NH 92/17
 दिनांक 16-03-15
 उत्तर प्रदेश सरकार
 सड़क विभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार
 सड़क विभाग

To Whom it may Concern

(10)

Executive Engineer
 N.H. Div. P.W.D. Etawah

Date: 05/05/15

opening of NH-92 from km. 60.00 to km. 69.850 road will be done on their existing alignment. At present only two lane road. No other alternate route is available.

To Whom it May Concern

(11)

Executive Engineer
 N.H. Div. P.W.D. Etawah

Date: 05/05/15

Date: 05/05/15

क्र.सं.	प्लॉट नं.	प्लॉट का क्षेत्रफल (चौ.फु.)	प्लॉट का मालिक का नाम	प्लॉट का स्थान	प्लॉट का वर्गीकरण	प्लॉट का मूल्य (रु.)
1	100/1	1.138	श्री. अ. प्र. शर्मा	बंगला	ग्राम	7200
2	100/2	1.138	श्री. अ. प्र. शर्मा	बंगला	ग्राम	7200

आज्ञा: इसमें सूचीबद्ध प्लॉट नं. 100-1/1 और 100-1/2 (कुल क्षेत्रफल 2.276 चौ.फु.) को 69.850 तक के बीच में विस्तारित करने के लिए 60.000 से 69.850 तक के बीच में सड़क विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार

11

उत्तर प्रदेश सरकार

(12)

निर्माण कार्य प्रारंभ वाली किराये वाली सड़कवर्ती प्रस्ताव-12

प्रस्तावित किराया भाता है कि वायव्य इलाका में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-92 (बायां खण्ड) सं०-719) सड़क-इलाका-व्यापारिक मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तार/विस्तार के साथ कि०मी० 60,000 से 69,850 तक के चौड़ाकरण एवं सुदृढीकरण की परियोजना हेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। अतः राजमार्ग का चौड़ाकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण का कार्य शुरुआत की आवश्यकता प्राप्त होती है अतः निर्माण कार्य प्रारंभ की किराया वादात्मक।

दिनांक : 05/05/15
स्थान : इलाका
अभिज्ञानी अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग, कोलकोता।
इलाका
Executive Engineer
M.H. Div. P.W.D. Etwah

10/5/15
10/5/15
अभिज्ञानी अभियंता
इलाका

अभियंता द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ वाली सड़कवर्ती प्रस्ताव-12

प्रस्तावित किराया भाता है कि वायव्य इलाका में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-92 (बायां खण्ड) सं०-719) सड़क-इलाका-व्यापारिक मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तार/विस्तार के साथ कि०मी० 60,000 से 69,850 तक के चौड़ाकरण एवं सुदृढीकरण की परियोजना हेतु 4,1438 हे० वर्गमीटर क्षेत्रफल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है अतः निर्माण कार्य प्रारंभ की किराया वादात्मक।
अतः निर्माण कार्य प्रारंभ की आवश्यकता प्राप्त होती है अतः निर्माण कार्य प्रारंभ की किराया वादात्मक।

दिनांक : 05/05/15
स्थान : इलाका
अभिज्ञानी अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग, कोलकोता।
इलाका
Executive Engineer
M.H. Div. P.W.D. Etwah

10/5/15
10/5/15
अभिज्ञानी अभियंता
इलाका

सड़क वर्तमान संकेत (NPV) सड़कवर्ती प्रस्ताव-12

प्रस्तावित किराया भाता है कि वायव्य इलाका में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-92 (बायां खण्ड) सं०-719) सड़क-इलाका-व्यापारिक मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तार/विस्तार के साथ कि०मी० 60,000 से 69,850 तक के चौड़ाकरण एवं सुदृढीकरण की परियोजना हेतु 4,1438 हे० वर्गमीटर क्षेत्रफल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है अतः निर्माण कार्य प्रारंभ की किराया वादात्मक।
अतः निर्माण कार्य प्रारंभ की आवश्यकता प्राप्त होती है अतः निर्माण कार्य प्रारंभ की किराया वादात्मक।

दिनांक : 05/05/15
स्थान : इलाका
अभिज्ञानी अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग, कोलकोता।
इलाका
Executive Engineer
M.H. Div. P.W.D. Etwah

10/5/15
10/5/15
अभिज्ञानी अभियंता
इलाका

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from National Highway Division, P.W.D. Etwah for diversion (under FCA-1980) of 7,2285 hec. of forest land non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of four lane widening of National Highway No. 92 (New NH-719) from change 50000 to 69850 of Bewar-Etwah-Cowallor Road in Etwah. The site inspection of land involved in the proposal has been done by me on a/dated 10/5/15.

On inspection of site, it is found that the land required by the user agency is a 50000/69850/1980/14-2-2002-405(L)/2001 नम्बर 16,07,2002 हे० वर्गमीटर क्षेत्रफल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है अतः निर्माण कार्य प्रारंभ की किराया वादात्मक।
अतः निर्माण कार्य प्रारंभ की आवश्यकता प्राप्त होती है अतः निर्माण कार्य प्रारंभ की किराया वादात्मक।

The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.
It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act, 1980 provisions. A detail report as per para 19 of chapter-1, para C of handbook of (Conservation) Act, 1980 is attached.
Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place: Etwah
Divisional Forest Officer
Social Forestry Division
Etwah

N.B. X state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
XX out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.
As per letter no. 2-2/2000-FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving more than 40 hec. of forest land, the site inspection report from DCF is required and proposal involving more than 40 hec of forest land site inspection report from the Conservator of Forests is required.

राष्ट्रीय वन संरक्षण क्षेत्रों की शर्तों पर आधारित प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र

This is to certify that 3.5847 ha. land bearing survey no. / compartment no. 209 joint (Gata no.) of village Prathvapur bhaurikpur, tehsil etawah, district Etawah identified for compensatory afforestation is suitable for plantation from management point of view and is free from all sorts of encroachments and encroachments.

Place: Etawah
Dated: 06/05/15

Divisional Forest Officer
Etawah Forest Division

Office Seal
प्रमुख, वन विभाग
एतावा

(प्रमुख, वन विभाग)
राज्य वन विभाग
एतावा

Date: 06/05/15
Place: Etawah

राष्ट्रीय वन संरक्षण क्षेत्रों की शर्तों पर आधारित प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय वन संरक्षण क्षेत्रों की शर्तों पर आधारित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग एतावा के क्षेत्र में 3.5847 हे. भूखंड (कम्पार्टमेंट नं. 209) जो गाँव प्रथवपुर भौरिकपुर, तहसील एतावा, जिला एतावा, प्रमाणित प्रमाण-पत्र प्राप्त है।

राष्ट्रीय वन संरक्षण क्षेत्रों की शर्तों पर आधारित प्रमाण-पत्र

Land suitability certificate

This is to certify that 3.5847 ha. land bearing survey no. / compartment no. 209 joint (Gata no.) of village Prathvapur bhaurikpur, tehsil etawah, district Etawah identified for compensatory afforestation is suitable for plantation from management point of view and is free from all sorts of encroachments and encroachments.

Place: Etawah
Dated: 06/05/15

Divisional Forest Officer
Etawah Forest Division

Office Seal
प्रमुख, वन विभाग
एतावा

(प्रमुख, वन विभाग)
राज्य वन विभाग
एतावा

Date: 06/05/15
Place: Etawah

राष्ट्रीय वन संरक्षण क्षेत्रों की शर्तों पर आधारित प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय वन संरक्षण क्षेत्रों की शर्तों पर आधारित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग एतावा के क्षेत्र में 3.5847 हे. भूखंड (कम्पार्टमेंट नं. 209) जो गाँव प्रथवपुर भौरिकपुर, तहसील एतावा, जिला एतावा, प्रमाणित प्रमाण-पत्र प्राप्त है।

राष्ट्रीय वन संरक्षण क्षेत्रों की शर्तों पर आधारित प्रमाण-पत्र

पत्रांक-10

निदेशक श्री सचिवी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माधव देवार ने राष्ट्रीय मार्ग सं-0-92 (भाग 200110 सं-0-719) अर्ध-स्का-बालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारिकरण के खर्च कि०मी० 60,000 से 69,850 तक के शीकीकरण एवं सुदृशीकरण का परिकल्पना हेतु 4.1438 हे० वर्गमीटर का भू-अधिकृत वन भूमि के अंतर्गत वन भूमि का भू-स्वीकृत निवेश किया है।

निदेशक श्री सचिवी प्रमाण-पत्र
 (अधीनस्थ प्रमाण-पत्र)
 भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ
 राष्ट्रीय मार्ग अखण्ड, सौराष्ट्र, ज्योतिबा फुले, इंदौर।
 सचिव
 Executive Engineer
 M.H. D.M. P.W.D. Bawani

पत्रांक-18

परिचय श्री सचिवी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माधव देवार ने राष्ट्रीय मार्ग सं-0-92 (भाग 200110 सं-0-719) अर्ध-स्का-बालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारिकरण के खर्च कि०मी० 60,000 से 69,850 तक के शीकीकरण एवं सुदृशीकरण का परिकल्पना हेतु 4.1438 हे० वर्गमीटर वन भूमि का भू-स्वीकृत निवेश किया है।

निदेशक श्री सचिवी प्रमाण-पत्र
 (अधीनस्थ प्रमाण-पत्र)
 भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ
 राष्ट्रीय मार्ग अखण्ड, सौराष्ट्र, ज्योतिबा फुले, इंदौर।
 सचिव
 Executive Engineer
 M.H. D.M. P.W.D. Bawani

पत्रांक-19

निदेशक श्री सचिवी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माधव देवार ने राष्ट्रीय मार्ग सं-0-92 (भाग 200110 सं-0-719) अर्ध-स्का-बालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारिकरण के खर्च कि०मी० 60,000 से 69,850 तक के शीकीकरण एवं सुदृशीकरण का परिकल्पना हेतु 4.1438 हे० वर्गमीटर का भू-अधिकृत वन भूमि का भू-स्वीकृत निवेश किया है।

निदेशक श्री सचिवी प्रमाण-पत्र
 (अधीनस्थ प्रमाण-पत्र)
 भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ
 राष्ट्रीय मार्ग अखण्ड, सौराष्ट्र, ज्योतिबा फुले, इंदौर।
 सचिव
 Executive Engineer
 M.H. D.M. P.W.D. Bawani

लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची

जनपद इटावा में राष्ट्रीय मार्ग सं०-92 (नया सं०सा० सं०-719) बेवर-इटावा-ग्वालियर मार्ग का 7 लेन से 4 लेन में विस्तारीकरण के अन्तर्गत 60,000 से 69,850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की परियोजना जनपद इटावा के अन्तर्गत विकसित की जा रही है, जिससे आवागमन में बेहतर वातावरण साधन सुविधा होगी, क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा एवं आसानी बढ़ेगी। राष्ट्रीय मार्ग के दोनों ओर बसे अनेक ग्रामों का बहुमुखी विकास होगा। संबंधित सड़क के किनारे बसे होने के कारण सभी ग्रामों में रहने वाले सभी परिवार एवं संपूर्ण जनसंख्या लाभान्वित होगी।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची निम्नवत् है,

1. पेट्टेरायनी
2. सराय तयाक
3. बुलाकीपुर तुल्हना
4. इलाहा कल्या
5. धुमनापुरा

दिनांक : 05/05/15
स्वात : इटावा


(अशोक कुमार)
 अधिशासी अभियन्ता
 राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोपचि०वि०,
 इटावा
 Executive Engineer
 N.H. Div. P.W.D., Etawah


(अशोक कुमार)
 अधिशासी अभियन्ता
 राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोपचि०वि०,
 इटावा

कार्यवाही प्रमाणिका
 दिनांक 14-10-15
 विभागाध्यक्ष, सामाजिक वार्ता, इटावा।
 दिनांक 04/05/2015

Form-1
(For linear Projects)
Government of Uttar Pradesh
Office of District Collector
Etawah
 No. 367/.....
 Date: 08/05/15

To Whom So Ever It May Concern


In compliance of Ministry of Environment & Forests, Government of India's letter No. 11-09/98-FC(pt)3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the Forest Land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issue certain relaxation in respect of liner project, it is certified that 4.1438 hec. Protected and 3.5847 hec. reserved forest of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. National Highways Division, Etawah (Ministry of Road Transport & Highway, NH-92(New NH-719)) from Chainage 60,000 to 69,850 of Bevar-Etawah-Gwalior Road in Etawah Dist. falls within jurisdiction of Municipal area/villages Sarai Dayant, Bulakipur-lohanna, Etawah Town, Dhunanpura and Etawah Chhavani in Etawah Sador Tahsil.

- It is further certified that:
- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.1438 hec. Protected and 3.5847 hec. Reserved forest area proposed of diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Panchayats, Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee(s). (Copy enclosed.)
 - The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Panchayat have given their consent to it.
 - The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre agricultural Committees.
- Encls: As above.


(Nitin Bansal)
 District Collector/Magistrate
 Etawah

वन अधिकार अधिनियम-2006 (Settlement of Rights Under The Scheduled Tribes and Other traditional Forest Dwellers) के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संरक्षितजल कमेटी तहसील इटावा के प्रस्ताव दिनांक 04.02.2015 पर विचार किया गया। तहसील के सम्बन्धित ग्राम/नगर क्षेत्र धुमनापुरा, बुलाकीपुर तुल्हना तथा सराय पयानत विकास खण्ड बड़वुरा में अनुरोधित जनजाति तथा अन्य परम्परागत तथा निवासी नही निवास करते हैं। राताण० सं०-92 (नया राताण० सं०-719) बेवर-इटावा-ग्वालियर मार्ग का दो लेन से चार लेन में विस्तारीकरण के अण्ड कि०मी० 60,000 से 69,850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की परियोजना हेतु 4.1438 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि एवं 3.5847 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि में कोई परम्परागत वन निवासी अथवा अनुरोधित जनजाति का व्यक्ति निवास नहीं करता है और न ही उनका कोई दावा लिखित अथवा विचारणीय है। अतः प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु समिति को कोई आपत्ति नहीं है।


 विभागाध्यक्ष, सामाजिक वार्ता, इटावा।
 दिनांक 04/05/2015


(Nitin Bansal)
 District Collector/Magistrate
 Etawah

बैठक कार्यवाही का विवरण

अजय विनोद सिंह को ग्राम समिति के बैठक प्रस्ताव को अद्यतन में नए अधिकारों की मांगता अधिनियम 2008 एवं नियमावली 2007 के तहत ग्राम सभा स्तरीय समिति गठन हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक का कार्य पूर्ण है बैठक में निम्नलिखित कार्यवाही प्रस्तावित की गयी।

प्रस्ताव-1 ग्राम बैठक की कार्यवाही पर विचार
ग्राम बैठक की कार्यवाही पत्रकार सुनाई गयी जिसको पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव-2 ग्राम स्तरीय समिति (अपरोव्जानसु) के गठन पर विचार।

सर्वसम्मति से समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों के नाम प्रस्तावित किये गये।

- | | |
|--------------|---|
| 1. अध्यक्ष | ग्राम प्रधान का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 2. सचिव | सम्मन्धित / ग्राम वि. अ. अ. अ. अ. अ. का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 3. उपाध्यक्ष | अनुसूचित जाति व्यक्ति का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 4. सदस्य | अनुसूचित जाति व्यक्ति का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 5. सदस्य | अनुसूचित जाति व्यक्ति का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 6. सदस्य | महिला का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 7. सदस्य | महिला का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 8. सदस्य | महिला का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 9. सदस्य | अन्य जातियों से (अ.अ.अ. को छोड़कर) के व्यक्तियों का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 10. सदस्य | अन्य जातियों से (अ.अ.अ. को छोड़कर) के व्यक्तियों का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 11. सदस्य | अन्य जातियों से (अ.अ.अ. को छोड़कर) के व्यक्तियों का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 12. सदस्य | अन्य जातियों से (अ.अ.अ. को छोड़कर) के व्यक्तियों का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 13. सदस्य | अन्य जातियों से (अ.अ.अ. को छोड़कर) के व्यक्तियों का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |

प्रस्ताव-3 अद्यतन वन नियमों (आदिवासी) अथवा अ.अ.अ.अ. परिचयों के निवास एवं कर्मों के सम्बन्ध पर विचार।

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् बताया गया कि इस ग्राम सभा के सदस्य ग्राम समिति के कोई एकमात्र वन निवासी (आदिवासी) अथवा अ.अ.अ.अ. का कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है और न ही उनकी भूमि इस ग्राम सभा में है। प्रस्तावित मर्ग वी.डी.करण हेतु आवश्यक वन भूमि पर गठित समिति के सदस्यों का कलेन/समाप्त लिखित नहीं है।

अतः अ.अ.अ.अ. सं-92 (नया सं.अ.अ.अ. सं. 719) बेबर इलाय-म्यालिपर मार्ग के कि.मी. 60.000 से 69.850 तक मार्ग के दो लेन से चार लेन के निर्माण कार्य कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है अतः नौधारा कुंजे गावावस्था में बैठक समाप्त की गयी।

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् बताया गया कि इस ग्राम सभा के सदस्य ग्राम समिति के कोई एकमात्र वन निवासी (आदिवासी) अथवा अ.अ.अ.अ. का कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है और न ही उनकी भूमि इस ग्राम सभा में है। प्रस्तावित मर्ग वी.डी.करण हेतु आवश्यक वन भूमि पर गठित समिति के सदस्यों का कलेन/समाप्त लिखित नहीं है। अतः अ.अ.अ.अ. सं-92 (नया सं.अ.अ.अ. सं. 719) बेबर इलाय-म्यालिपर मार्ग के कि.मी. 60.000 से 69.850 तक मार्ग के दो लेन से चार लेन के निर्माण कार्य कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है अतः नौधारा कुंजे गावावस्था में बैठक समाप्त की गयी।

बैठक कार्यवाही का विवरण

अजय विनोद सिंह को ग्राम समिति के बैठक प्रस्ताव को अद्यतन में नए अधिकारों की मांगता अधिनियम 2008 एवं नियमावली 2007 के तहत ग्राम सभा स्तरीय समिति गठन हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक का कार्य पूर्ण है बैठक में निम्नलिखित कार्यवाही प्रस्तावित की गयी।

प्रस्ताव-1 ग्राम बैठक की कार्यवाही पर विचार
ग्राम बैठक की कार्यवाही पत्रकार सुनाई गयी जिसको पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव-2 ग्राम स्तरीय समिति (अपरोव्जानसु) के गठन पर विचार।

सर्वसम्मति से समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों के नाम प्रस्तावित किये गये।

- | | |
|--------------|---|
| 1. अध्यक्ष | ग्राम प्रधान का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 2. सचिव | सम्मन्धित / ग्राम वि. अ. अ. अ. अ. अ. का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 3. उपाध्यक्ष | अनुसूचित जाति व्यक्ति का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 4. सदस्य | अनुसूचित जाति व्यक्ति का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 5. सदस्य | अनुसूचित जाति व्यक्ति का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 6. सदस्य | महिला का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 7. सदस्य | महिला का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 8. सदस्य | महिला का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 9. सदस्य | अन्य जातियों से (अ.अ.अ. को छोड़कर) के व्यक्तियों का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 10. सदस्य | अन्य जातियों से (अ.अ.अ. को छोड़कर) के व्यक्तियों का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 11. सदस्य | अन्य जातियों से (अ.अ.अ. को छोड़कर) के व्यक्तियों का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 12. सदस्य | अन्य जातियों से (अ.अ.अ. को छोड़कर) के व्यक्तियों का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |
| 13. सदस्य | अन्य जातियों से (अ.अ.अ. को छोड़कर) के व्यक्तियों का नाम / सिंहापुर - नौधारा कुंजे |

प्रस्ताव-3 अद्यतन वन नियमों (आदिवासी) अथवा अ.अ.अ.अ. परिचयों के निवास एवं कर्मों के सम्बन्ध पर विचार।

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् बताया गया कि इस ग्राम सभा के सदस्य ग्राम समिति के कोई एकमात्र वन निवासी (आदिवासी) अथवा अ.अ.अ.अ. का कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है और न ही उनकी भूमि इस ग्राम सभा में है। प्रस्तावित मर्ग वी.डी.करण हेतु आवश्यक वन भूमि पर गठित समिति के सदस्यों का कलेन/समाप्त लिखित नहीं है।

अतः अ.अ.अ.अ. सं-92 (नया सं.अ.अ.अ. सं. 719) बेबर इलाय-म्यालिपर मार्ग के कि.मी. 60.000 से 69.850 तक मार्ग के दो लेन से चार लेन के निर्माण कार्य कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है अतः नौधारा कुंजे गावावस्था में बैठक समाप्त की गयी।

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् बताया गया कि इस ग्राम सभा के सदस्य ग्राम समिति के कोई एकमात्र वन निवासी (आदिवासी) अथवा अ.अ.अ.अ. का कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है और न ही उनकी भूमि इस ग्राम सभा में है। प्रस्तावित मर्ग वी.डी.करण हेतु आवश्यक वन भूमि पर गठित समिति के सदस्यों का कलेन/समाप्त लिखित नहीं है। अतः नौधारा कुंजे गावावस्था में बैठक समाप्त की गयी।

DETAIL OF IMPACTED AREA (PROTECTED FOREST) FROM KM. 60.000 TO KM. 69.850 OF N.H.-92, DISTRICT - ETAWAH

S.No	Change (In Hect.)		Distance (In Met.)	Forest Edge (In Met.)			Width of Existing Rwy/Canal (In Met.)			Width of Forest Strip To be used (In Met.)			Area of Land Strip to be used (In Sqm.)	Total Area	Remark
	From	To		L	R	W	L	R	L	R	W				
1	54.900	60.031	131	30.50	7.50	7.50	6.00	1.00	3.00	0.00	3.00	1381	1381.00	Proposed Road Channel	
2	60.031	80.200	108	7.50	6.00	7.50	4.50	6.00	1.50	0.00	2.50	287.50	287.50	Proposed Road Channel	
3	61.200	60.407	207	7.50	6.00	7.50	4.50	6.00	1.50	0.00	2.50	287.50	287.50	Proposed Road Channel	
4	60.407	60.462	55	7.50	6.00	7.50	4.50	6.00	1.50	0.00	2.50	287.50	287.50	Proposed Road Channel	
5	60.462	61.008	548	9.00	7.00	7.00	7.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1216.00	1216.00	Proposed Road Channel	
6	61.008	61.200	190	12.00	10.00	10.00	10.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2000.00	2000.00	Proposed Road Channel	
7	61.200	61.500	300	9.00	9.00	9.00	9.00	3.00	3.00	0.00	3.00	540.00	540.00	Proposed Road Channel	
8	61.500	61.850	350	14.00	11.50	11.50	11.50	2.50	2.50	0.00	2.50	787.50	787.50	Proposed Road Channel	
9	61.850	68.800	745	12.00	9.50	9.50	10.00	1.75	1.75	0.00	1.75	3500.00	3500.00	Proposed Road Channel	
10	68.800	68.850	50	12.00	12.00	12.00	12.00	2.50	2.50	0.00	2.50	150.00	150.00	Proposed Road Channel	
11	68.850	69.850	50	12.00	12.00	12.00	12.00	2.50	2.50	0.00	2.50	150.00	150.00	Proposed Road Channel	
Total Area in Hect.													41437.75		

DETAIL OF IMPACTED AREA (RESERVED FOREST) FROM KM. 60.000 TO KM. 69.850 OF N.H.-92, DISTRICT - ETAWAH

S.No	Change (In Hect.)		Distance (In Met.)	Forest Edge (In Met.)			Width of Existing Rwy/Canal (In Met.)			Width of Forest Strip To be used (In Met.)			Area of Land Strip to be used (In Sqm.)	Total Area	Remark
	From	To		L	R	W	L	R	L	R	W				
1	60.131	60.200	69	7.50	9.00	7.50	6.00	1.00	3.00	0.00	3.00	108.00	108.00	Proposed Road Channel	
2	60.200	60.407	207	7.50	11.50	7.50	6.00	0.00	5.50	0.00	5.50	138.50	138.50	Proposed Road Channel	
3	60.407	60.462	55	7.50	11.50	7.50	6.00	0.00	5.50	0.00	5.50	151.25	151.25	Proposed Road Channel	
4	60.462	60.407	2450	14.50	14.50	9.48	9.50	3.75	3.75	0.00	3.75	1239.00	1239.00	Proposed Road Channel	
5	60.407	66.200	300	11.75	11.75	6.00	6.00	3.75	3.75	0.00	3.75	2549.00	2549.00	Proposed Road Channel	
6	66.200	66.765	563	14.00	10.50	14.00	14.00	0.00	2.50	0.00	2.50	162.50	162.50	Proposed Road Channel	
7	66.765	67.655	890	14.00	15.50	14.00	14.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2225.00	2225.00	Proposed Road Channel	
8	67.655	68.200	545	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	787.50	Proposed Road Channel	
9	68.200	68.800	600	14.75	14.75	12.00	12.00	0.00	2.75	0.00	2.75	2025.00	2025.00	Proposed Road Channel	
10	68.800	68.850	50	14.75	14.75	12.00	12.00	0.00	2.75	0.00	2.75	1925.00	1925.00	Proposed Road Channel	
Total Area in Hect.													35816.45		

